

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल.

क्रमांक/स्थापना/ख/विविध/ 29/998

भोपाल 15/05/2025

प्रति

1. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक,
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय ----- (समस्त)
 2. कार्यपालन यंत्री
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग ----- (समस्त)
 3. अध्यक्ष/सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति
-----जिला-----
 4. शाखा प्रबंधक,
म. प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
मुख्यालय टी. टी. नगर भोपाल।
- विषय:- म. प्र. राज्य मण्डी बोर्ड सेवा तथा कृषि उपज मण्डी समिति सेवा के पेंशनरों को पेंशन मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में।
- संदर्भ:- म. प्र. शासन वित्त विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 9-2/2025/नियम/चार दिनांक 08 मई 2025
म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा अपने जाप क्रमांक एफ 9-2/2025/नियम/चार दिनांक 08 मई 2025 से पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है। (इसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।)
अतः म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 9-2/2025/नियम/चार दिनांक 08 मई 2025 में उल्लेखित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन राज्य मण्डी बोर्ड सेवा तथा कृषि उपज मण्डी(समिति सेवा के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को भी निम्नानुसार मंहगाई राहत भुगतान की स्वीकृति दी जाती है:-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की वृद्धि की दर		वृद्धि के पश्चात संशोधित मंहगाई राहत की कुल दर	
	छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान	छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान
01 मार्च, 2025 से (माह मार्च, 2025 की पेंशन/परिवार पेंशन जो अप्रैल, 2025 में देय होगी)	07 प्रतिशत	03 प्रतिशत	246 प्रतिशत	53 प्रतिशत

'80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।
(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

उप संचालक(कार्मिक)

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्रमांक/स्थानपत्र/ख/विविध/ 29/९९९

भोपाल/५/०५/२०२५

प्रतिलिपि:-

- 01 प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विषयन बोर्ड रायपुर।
- 02 अपर संचालक (वित्त) मध्य प्रदेश राज्य कृषि विषयन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
- 03 उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्य प्रदेश भोपाल।
- 04 उप संचालक(वित्त)/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी(पेंशन)मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
- 05 आडिट/पेंशन/मंडी कार्मिक/लेखा शाखा मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

उप संचालक(कार्मिक)

म. प्र. राज्य कृषि विषयन बोर्ड

भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग,

बल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

भोपाल, दिनांक ४ मई, 2025

क्र. एफ 9-2/2025/नियम/चार

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व बंडल, व्हालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय :- मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में।

म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-2/2024/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 से (भुगतान माह नवम्बर, 2024) से सातवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 50% की दर से एवं छठवें वेतनमान में 239% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है।

2/ छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा पत्र दिनांक 12.03.2025 से म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत पेंशनर / परिवार पेंशनर को 01 मार्च, 2025 से सातवें वेतनमान में 53% एवं छठवें वेतनमान में 246% मंहगाई राहत दिये जाने का निर्णय लिया जाकर तदनुसार सहमति जाही गयी है।

3/ छत्तीसगढ़ शासन के उपरोक्तानुसार पत्र के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा राज्य के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत की दर में 01 मार्च, 2025 (भुगतान माह अप्रैल, 2025) से निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है:-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत में वृद्धि की दर		वृद्धि के पश्चात संशोधित मंहगाई राहत की दर	
	छठवां वेतनमान	सातवां वेतनमान	छठवां वेतनमान	सातवां वेतनमान
01 मार्च, 2025 से (माह मार्च, 2025 की पेंशन/परिवार पेंशन जो अप्रैल, 2025 में देय होगी)	07%	03%	246%	53%

* 80 वर्ष आयु पूर्ण अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी।

लिंगतर...

2-110
V
D.S.
2025

f

112.

- 4/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिकारियों (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकंपा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी मंहगाई राहत की पावता होगी तथा परिवार पेशन तथा असाधारण पेशन प्राप्त करने वाले पेशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.वी. (6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 05-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेशन पर मंहगाई राहत की पावता नहीं होगी परन्तु यदि पति/पत्नि की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति/पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेशन पर उसे मंहगाई राहत की पावता होगी।
- 5/ ऐसे पेशनर्स जिन्होंने अपनी पेशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी भूल पेशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेशन) पर देय होगी।
- 6/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5-1-2007 के अंतर्गत पेशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पाव हो गए हैं।
- 7/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।
- 8/ राज्य शासन के समस्त पेशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश कोपालम संहिता 2020 के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीम्भ भुगतान सुनिश्चित करें।
- 9/ संचालक पेशन, वैंक वीं शाखाओं में नमूना जांच करें तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में कराया जाना सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(मी.के.धीवास्तव)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग

Government of Madhya Pradesh
 Finance Department
 Mantralaya- Bhopal

Bhopal, dated 9 May, 2025

No.- F 9-2/2025/Rule/IV

To,

All Departments of Government
 The President of Board of Revenue, Gwalior
 All Commissioners of Divisions,
 All Heads of Department,
 All Collectors,
 Madhya Pradesh

Sub - Revised rate of dearness relief to Pensioners/family pensioners of state of Madhya Pradesh.

The State Government had sanctioned 50% Dearness Relief in 7th Pay Scale and 239% in 6th Pay Scale w.e.f. 01 October 2024 (To be paid in November ,2024) on pension / family pension to its pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No.F 9-2/2024/Rule/IV Bhopal, dated 30 October, 2024.

2/ Government of Chhattisgarh has sanctioned Dearness relief @53% in 7th pay commission & @246% in 6th pay commission to the Pensioner's / Family pensioner's with effect from 01.03.2024 and sought consent of Government of Madhya Pradesh by its letter dated 12.03.2025 for the same.

3/ After sanctioning of Dearness Relief by Government of Chhattisgarh, Government of Madhya Pradesh is pleased to sanction the Dearness Relief admissible to pensioners/family pensioners as given below :-

	Date from which payable	Rate of increase in D.R.		Revised rate of D.R. after increase	
		VI th Pay Scale	VII th Pay Scale	VI th Pay Scale	VII th Pay Scale
1.	w.e.f. 01.03.2025 (Pension/family pension for the month of March,2025 to be paid in April,2025)	07%	03%	216%	53%

* The additional pension payable to the pensioners / family pensioners aged 80 years completed 80 years of age or above shall also qualify for dearness relief.

Contd....

f

4/ The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extraordinary pension subject to the restrictions contained in the Finance Department's Memo No.F.B.6/43/76/r-II/IV dated 05.10.76 . This relief on family pensions shall be payable in such cases, where a person was already in service at the time of the death of the spouse and was not appointed on compassionate grounds. However, this relief on family pension shall not be payable in those cases, where a person has been appointed on compassionate grounds, on account of death of the spouse.

5/ Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).


6/ This order shall be applicable in respect of State Government employees who had drawn lump sum amount on absorption in PSU/Autonomous body/Board / Corporation etc and have become eligible to restoration of 1/3rd commuted portion of pension in terms of this Department's memo No. F 9/9/2006/Rule/IV dated 05-01-2007 .

7/ Fraction of rupee of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

8/ All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/ Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the provisions of relevant rules M.P.T.C. 2020 .

9/ After payment of dearness relief, the same may be got test checked by the Director Pension in bank branches, and if some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment of next months.

By order and in the name of
Governor of Madhya Pradesh



(P.K. Srivastava)
Deputy Secretary,
Government of Madhya Pradesh
Finance Department

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
 2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
 3. निवंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जवलपुर।
 4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
 5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
 6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
 7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री / राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 8. निज सचिव/निज सहायक, मान, उपमुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन भोपाल
 9. निज सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
 10. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
 11. मुख्य निर्वाचित, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
 12. सचिव राज्य निर्वाचित आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
 13. महाधिकारी/उपमहाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/खालियर।
 14. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश खालियर (100 प्रतियाँ)।
 15. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
 16. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
 17. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
 18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन, विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा / अभिलेख / मुख्यलेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल।
 19. मुख्य सचिव के स्टाफ बाफीसर मंत्रालय, भोपाल।
 20. संचालक, द्वितीय प्रवंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
 21. समस्त अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / परामर्शी / अनुभांग अधिकारी, वित्त विभाग
 22. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघ।
 23. संचालक, पेंशन, 26 किसान भवन मण्डी बोर्ड परिसर, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल।
- 462011.

८

24. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोप, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
25. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
26. समस्त कोपालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
27. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेण्ट एण्ड बैंक एकाउण्ट्स विपारीमेण्ट्स, सी-7, बान्द्रा-कुली काम्प्लेक्स, पोस्ट बैग नं. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई- 400051, (100 प्रतियां)
28. सहायक मुख्य प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शासकीय लेन-देन, लोकल हेड ऑफिस, पोस्ट बैग नं.-6, मैदा मिल के सामने, भोपाल -462012, (10 प्रतियां)
29. जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, एम.पी.जी., बैंक ऑफ इण्डिया हाउलस, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011, (300 प्रतियां)
30. चीफ मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011, (200 प्रतियां)
31. उप मुख्य प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, वम्बई मार्केट, प्रथम तल, सी.विंग, जी.ई.रोड, रायपुर-492001, (100 प्रतियां)
32. मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, जोनल ऑफिस, अरेरा हिल्स जेल रोड, भोपाल- 462011 (75 प्रतियां)
33. चीफ मैनेजर, इंडियन बैंक, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, गौतम नगर, भोपाल-462011, (300 प्रतियां)
34. सहायक मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र , रीजनल आकित, 1/14 जेल रोड, एडमिनिस्ट्रेटिव काम्प्लेक्स, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011, (150 प्रतियां)
35. सहायक मुख्य प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, आरसीसी 1/4 जेल रोड एडमिनिस्ट्रेटिव काम्प्लेक्स प्रथम तल अरेरा हिल्स भोपाल -462011, (45 प्रतियां)
36. सहायक मुख्य प्रबंधक, यूको बैंक, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016, (150 प्रतियां)
37. मुख्य प्रबंधक, सेंट्रल कम्प्यूटर प्रोसेसिंग सेंटर,गोविन्दपुरा, भोपाल-462024 (10 प्रतियां)

38. क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल आफिस, 20 लेहनगर, इन्दौर-452001

(65 प्रतियां)

39. क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल आफिस, 1227 नेपीयर टाउन, जबलपुर-482001 (65 प्रतियां)

40. क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल गामिल, गोदाना मंजिल, कचहरी चौक, जेलरोड, रायपुर 492001 (65 प्रतियां)

41. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, 12-12ए, अनूपनगर, एल.आई.सी.विलिंग, एम.आई.जी.चौराहा, इन्दौर-452001 (55 प्रतियां)

42. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुनानक मार्केट चौटी टाकीज के पास, नेपीयर टाउन, जबलपुर-482001 (55 प्रतियां)

43. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, सिरमोर चौराहा, इनाहवाद रोड, पोस्ट वाक्स नम्बर-10, रीवा-486001 (60 प्रतियां)

44. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, पोस्ट वाक्स नम्बर 23 महावीर काम्पलेक्स, के.के.रोड, मौघपाड़ा, रायपुर (छत्तीसगढ़) (40 प्रतियां) की ओर वित्त विभाग के पृ.क्र.ई-4-1/81/नि.-2/चार, दिनांक 22.11.82 के अनुग्रह में अयोग्यित कर निवेदन है कि वे कृपया अपने अधीनस्थ सभी बैंक शाखाओं को इस भादेश की प्रति मध्य सहपत्र के इस निर्देश के साथ अग्रेपित करें ताकि राज्य शासन हारा स्वीकार की गई राहत राशि का भुगतान सिविल पंशनरों को यथासम्भव शीघ्र हो सके (क्रमांक 23 से 41 हेतु)।

45. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर, गुजरात-382 010

46. वित्त सचिव, आंध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद-500 001

47. वित्त सचिव, असम शासन, शिलांग, 793 001

48. वित्त सचिव, विहार शासन, मंत्रालय, पटना, 800 001

49. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची, 834 002

50. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम, 695 039

51. वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन, मंत्रालय, चென्नई, 600 018

52. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 400 020

53. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बंगलोर, 560 001

54. वित्त सचिव, उडिसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर, 751 001
 55. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160017
 56. वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160 017
 57. वित्त सचिव, हिमाचल-प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला, 171 003
 58. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर, 302 001
 59. वित्त सचिव, उत्तर-प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ, 226 001
 60. वित्त सचिव, पश्चिम-बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता, 700 001
 61. वित्त सचिव, जम्मू एवं काश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर, 190 001
 62. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इमफाल, 795 001
 63. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला, 799 001
 64. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा, 797 001
 65. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली, 110 001
 66. वित्त सचिव, गोवा- शासन, मंत्रालय पणजी गोवा, 403 101
 67. वित्त सचिव, दीव एवं दमण शासन मंत्रालय, पणजी गोवा, 403 101
 68. वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर, 492 001
 69. वित्त विभाग, सिक्किम शासन, मंत्रालय, दन्तक, 717 101
 70. वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून-248 001 (सरल क्रमांक 42 से 66
 तक 2 प्रतियों सहित)
 71. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) गुजरात, 5 वां मंजिल, सी ब्लाक, बहु मंजिली भवन,
 लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380 001 (100 प्रतियां)
 72. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) गुजरात, राजकोट 360 001 (100 प्रतियां)
 73. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, 500 463 (250 प्रतियां)
 74. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, 500 463 (50 प्रतियां)
 75. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) मेघालय, मिङोरम, असमाञ्चल प्रदेश, शिलाग 793 001
 (20 प्रतियां)
 76. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) मणिपुर, इमफाल 795 001 (20 प्रतियां)

77. प्रधान महालेखाकार,-2, (लेखा एवं हक) विहार, विरचंद पटेल मार्ग, पटना 800 001
 (75 प्रतियां)
78. प्रधान महालेखाकार,-1, (लेखा एवं हक) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834 002
 (35 प्रतियां)
79. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) केरल, पो. दाकस नं. 5607, तिस्सवन्नपुरम् 595 039
 (240 प्रतियां)
80. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) तमिलनाडू, चैन्नई, 600 018 (150 प्रतियां)
81. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) तमिलनाडू, चैन्नई, 600 018 (100 प्रतियां)
82. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कवी रोड, सुंदरी, 400 020
 (100 प्रतियां)
83. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) महाराष्ट्र, सिविल लाइन्स, नागपुर 440001
 (100 प्रतियां)
84. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बंगलोर 560 002
 (150 प्रतियां)
85. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) उडीसा, भुवनेश्वर, 751 001 (150 प्रतियां)
86. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) पंजाब, चंडीगढ़, 160 017 (70 प्रतियां)
87. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) हरियाणा, लेखा भवन, प्लाट नं. 4 त 6 सेवदर, 33 वी
 चंडीगढ़, 160 047 (60 प्रतियां)
88. वरिष्ठ उप -महालेखाकार, (लेखा एवं हक) हिमाचल प्रदेश, गोर्टन कैसल भवन, शिमला
 171 003 (150 प्रतियां)
89. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, भगवान दास मार्ग, जबपुर 302 001
 (200 प्रतियां)
90. महालेखाकार -3, (लेखा एवं हक) उत्तर-प्रदेश, लखनऊ, 226 001 (50 प्रतियां)
91. महालेखाकार -2, (लेखा एवं हक) उत्तर-प्रदेश, इलाहाबाद, 211 001 (200 प्रतियां)
92. महालेखाकार -2, (लेखा एवं हक) पश्चिम-बंगाल, देजरी विलिंग, कोलकाता
 700 001 (200 प्रतियां)
93. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) जम्मू एवं काश्मीर, अनिमार, 190 001 (50 प्रतियां)

94. महालेखाकार, त्रिपुरा, अगरतला, 799 001 (25 प्रतियां)
95. महालेखाकार, नागालैण्ड, कोहिमा 797 001 (50 प्रतियां)
96. वरिष्ठ उप -महालेखाकार, (लेखा एवं हक) सिङ्गाम, लकार भवन, मान्तोक 717101
(20 प्रतियां)
97. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) उत्तराखण्ड, देहरादून 248 001 (200 प्रतियां)
98. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन द्विव, पो, पणजी 403 101 (15 प्रतियां)
99. बेतन एवं लेखा अधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्विप, पोटब्लेयर 744 011 (50 प्रतियां)
100. बेतन एवं लेखा अधिकारी, क्रमांक 5 (पेंशन), तीस हजारी, दिल्ली 110 006
(30 प्रतियां)
101. सहायक मिलीट्रि एटेची (पेंशन) भारतीस दूतावास, बाटमाण्डु, भोपाल -1 महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी 2) ग्वालियर के माध्यम से (10 प्रतियां)
102. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली 110 001 महालेखाकार
ग्वालियर के माध्यम से (10 प्रतियां)
103. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली 110 001 (50 प्रतियां)
104. महालेखाकार (लेखा एवं हक) छत्तीसगढ़, रायपुर 492 001 (200 प्रतियां)
105. संचालक, पेंशन संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर, 492 001 (200 प्रतियां)
106. मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग, डी-12 माधवना कालोनी 6 नंबर स्टाप
के पास शिवाजी नगर, भोपाल।



(विधिग्रन्थ औहान)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग